



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली (म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का

अधिकार

क्र0/मा0चि0/ 314
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक 21/01/2020

टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड,
तृतीय तल टॉवर विजय नगर
इन्दौर (म0प्र0)

विषय:- Request for granting permission for laying Optical Fiber Cable on Waidhan
-MP/UP Border (Dudhi) road total lengths 4.5 Km (0.225 Ha).

संदर्भ:- (i) ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/42699/2019
(ii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र
क्रमांक का पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2018/10-11/144 भोपाल,
दिनांक 12.01.2018।

-000-

सिंगरौली जिले की बैढ़न से एम.पी./यू.पी. बार्डर (दुधी) रोड में ऑप्टिकल फाइबर
केबल लाईन डालने की अनुमति हेतु टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण
अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैढ़न अन्तर्गत आर.एफ.
409, 410, 396 एवं 397 कुल रकवा 0.32 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	संरक्षित/ आरक्षित वन भूमि	परिक्षेत्र का नाम	वन खण्ड का नाम	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	रकवा (हे0)
1	2	3	4	5	6	7
	आरक्षित वन भूमि	बैढ़न	रेड़वन	सुईडीह	RF 409	0.06
			रेड़वन	सुईडीह	RF 410	0.03
			रेड़वन	गोभा	RF 396	0.05
			रेड़वन	गोभा	RF 397	0.18
आरक्षित वन भूमि का योग:-						0.32
संरक्षित वन भूमि का योग:-						0.00
महायोग:-						0.32

2. म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा दिए गए प्रावधान अनुसार, म.प्र. शासन वन विभाग
के ज्ञाप क्रमांक एफ-5/08/2002/10-3 भोपाल 01 जुलाई 2009 तथा वन विभाग के समसंख्यक
ज्ञाप दिनांक 18.11.2004, 14.12.2005, भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन का
पत्र क्रमांक F.No.11-9/1998-FC दिनांक 12.12.2017 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/11/2015/2637 भोपाल, दिनांक 28.10.2015, पत्र
क्रमांक/एफ-5/2018/निर्देश/10-11/48 भोपाल, दिनांक 06.01.2018 से वनभूमि अंतर्गत भूमिगत
ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन के संबंधित प्रकरणों में शर्तों के अधीन अनुमति जारी करने के निर्देश
दिए गए हैं।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमांक
/एफ-5/विविध/2018/10-11/1739 भोपाल, दिनांक 20.06.2018 द्वारा दिए निर्देशानुसार प्रकरण
में यदि एन.पी.व्ही. अथवा अन्य कोई राशि आवेदक संस्थान से नहीं ली जानी है तो आवेदक संस्थान

को कैम्पा खाते में Other मद में राशि रु. 100/- भारत सरकार की वेबसाइट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. ऑनलाइन प्रविष्टियों की पूर्ति हो जाने के फलस्वरूप बैढ़न से एम.पी./यू.पी. बार्डर (दुधी) रोड में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन डालने की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (i) ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने हेतु 1.65 मीटर गहराई, 3200 मीटर लम्बाई तथा 1 मीटर चौड़ाई से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।
- (ii) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
- (iii) वनभूमि में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राइट ऑफ वे के तहत ही होगी। राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
- (iv) उपभोक्ता कम्पनी द्वारा केबल लाइन हेतु वृक्षों की कटाई नहीं की जावेगी और न ही किसी प्रकार से पर्यावरण एवं वन्यप्राणियों के आवास एवं रहवास को क्षति पहुँचाई जावेगी।
- (v) यदि वन एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचती है तो उपभोक्ता कम्पनी उसकी भरपाई करेगी।
- (vi) वनभूमि का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
- (vii) केबल लाईन बिछाने के पश्चात नाली में मिट्टी वापस डालकर भूमि समतल की जावेगी।
- (viii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।
- (ix) केबल लाइन बिछाने के कार्य के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो आवेदक संस्थान द्वारा ऐसे क्षति की भरपाई की जावेगी।
- (x) उपभोक्ता कम्पनी विभाग द्वारा लगाई गई अन्य सभी शर्तों का पालन करेगी तथा तदाशय का वचन पत्र वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली को प्रस्तुत करेगी।
- (xi) भारत सरकार से निर्णय आने पर नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि जमा करने हेतु आप वचनबद्ध है।
- (xii) वनों के संरक्षण अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में भारत सरकार/राज्य शासन/वन विभाग द्वारा समय-समय पर आधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन आवेदक/संस्थान द्वारा किया जावेगा।
- (xiii) वनभूमि स्थित उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में OFC केबल डालने के दौरान मशीनरी (जे.सी.बी.) आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों से ही कराया जावेगा।

5. उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन बेबपोर्टल पर अपलोड करें तथा पालन प्रतिवेदन की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त कार्य करने की औपचारिक स्वीकृति पृथक से प्रदान की जाएगी।



(विजय सिंह)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 21/01/2020

पृ0क्र0/मा0चि0/ 315

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

4. उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। उपरोक्त सहमति के आधार पर संस्थान को वन भूमि में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। शर्तों के पालन का वचन पत्र/अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात कार्य करने की औपचारिक अनुमति प्रदान की जाएगी। तब तक संस्थान को वन भूमि पर कोई कार्य न करने दिया जाय। निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी
~~वन मण्डल~~ सिंगरौली